सिफारिशें

मान्य निर्यात फिरती योजना

आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के संदर्भ में

(पैराग्राफ 2.1 से 2.13)

1. डीओसी की आन्तरिक नियंत्रण पद्धतियों और आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को उसके आरएफडी के उद्देश्यों के अनुसार कुशल बजटिंग, लेखांकन, भुगतान और आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए मजबूत बनाने की आवश्यकता है। बजट अनुमान, निधि आवंटन और मांग के उपयोग की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है।

योजना व्याख्या के संदर्भ में

(पैराग्राफ 3.1 से 3.15)

2. डीओसी अस्पष्टता को रोकने के लिए अपनी नीति/प्रक्रिया के समन्वय पर विचार करे।

योजना प्रशासन के संदर्भ में

(पैराग्राफ 3.16 से 3.93)

3. डीओसी ड्राबैक/टीईडी के गलत भुगतान पर ब्याज लगाने के उपयुक्त यंत्र पर विचार करे।

4. डीजीएफटी की मौजूदा ईडीआई प्रणाली को दावों पर कार्य करते समय कपट के मामलो को कम करने के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग के ईडीआई प्रणाली से जोड़े जाने की आवश्यकता है।

5. डीओसी एफटीपी में प्रावधान करने पर विचार करे कि दावेदार द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि उसके द्वारा दूसरों पर शुल्क का भार नहीं डाला गया है।

6. मान्य निर्यात योजना लागू करने से पूर्व, डीओसी को अपनी निष्पादन नीति के अनुसार, योजना की प्रभावोत्पादकता का नतीजा मूल्यांकन एवं आयात प्रतिस्थापन, करों को निष्प्रभावी करने तथा लाभर्थियों को उपार्जित वित्तीय लाभ क राजस्व आंकलन की जरूरत है।

ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को सीएसटी की प्रतिपूर्ति

आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के संदर्भ में

(पैराग्राफ 2.6 से 2.12)

1. डीईआईटीवाई और डीओसी की आंतरिक नियंत्रण कार्य विधियों तथा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को इसके आरएफडी उद्देश्यों के अनुसार कुशल बजटिंग, लेखांकन, भुगतान और आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। बजट अनुमान, निधि आवंटन और मांग के उपयोग की गहन निगरानी की आवश्यकता है।

2. डीओसी तथा डीईआईटीवाई को विलम्बों पर किसी ब्याज के भुगतान से बचने के लिए काउंटर सहायता के साथ-साथ मध्यवर्ती उपायों के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

योजना व्याख्या और प्रशासन के संदर्भ में

(पैराग्राफ 2.13 से 2.35)

3. डीओसी और डीईआईटीवाई द्वारा प्रणाली के साथ -साथ आयातित माल पर सीएसटी के गलत प्रतिदायों को रोकने की पद्धति में अपर्याप्तता को समाप्त करने की आवश्यकता है।

4. परिशिष्ट 14-1-1 में अभ्यर्थियों द्वारा एक विशिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किया जाए कि प्राप्त माल वास्तव में भारत में निर्मित हुआ था और किसी ईओयू या एसईजेड इकाई से आयातित/स्त्रोत से नहीं लिया गया था।

5. डीईआईटीवाई को योजना के कार्यान्वयन, आयात प्रतिस्थापन, करों के निष्प्रभावन पद्धतियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और लाभार्थियों आदि को प्राप्त वित्तीय लाभों इत्यादि से पहले किए गए अपने निष्पादन की रणनीति अथवा राजस्व प्रभाव के निर्धारण के संबंध में योजना के प्रभाव के परिणाम को आंकलन करने की आवश्यकता है।